माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

नि॰ - 3045 - PBR/16

अपील क्रमांकः– /2016

विनोद कुमार साहू
द्वारा आज दि. 6/9/16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

VK Sahu Adv 6.9.16

लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति रघुवंशी निवासी क्यांपूर, सरपंच, ग्राम पंचायत सराई, गुना (म0प्र0)

..........अपीलार्थी

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलैक्टर गुना, जिला गुना (म0प्र0)
2. शिवेश पुत्र रमेश सिंह जाति रघुवंशी,
3. शीलाबाई पत्नि राजू जाति मेहतर (पंच) निवासी ग्राम सांडर
4. मनोज सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति रघुवंशी (पंच) निवासी ग्राम सराई ग्राम पंचायत सराई जनपद पंचायत आरोन

(अनावेदक क्रमाक 2, 3, 4 शिकायतकर्ता है)

5. उपयंत्री श्री तिवारी आर.ई.एस. जनपद पंचायत आरोन
6. ब्रजेश जाति रघुवंशी सचिव ग्राम पंचायत सराई
7. शिवकुमार सिंह रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सराई
8. पटवारी ग्राम पंचायत सराई तत्कालीन पटवारी मदनलाल बुनकर हाल मुकाम तहसील गुना (म.प्र.)

(अनावेदक क्रमाक 5, 6, 7, 8 फॉर्मल पार्टी है)

......प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 36(4) पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम

अपील के तथ्यः–

1. यह कि, अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर कलैक्टर जिला गुना (म.प्र.) प्रकरण क्रमांक 114 अपील 2015–16 में आदेश दिनांक 16/08/2016 में आदेश पारित कर आवेदक को सरपंच पद से पृथक किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश धारा 14 म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत पारित किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3045–पीबीआर/2016 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–09–2016	अपीलार्थी की ओर से श्री विभोर कुमार साहू अधिवक्ता उपस्थित । प्रत्यर्थी शासन की ओर से श्री राजीव गौतम, पेनल लॉयर उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह अपील अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम, 1913 की धारा 36(4) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उक्त अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की अपील सुनने की अधिकारिता आयुक्त को है । प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह अपील निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	